1 भाषा, लिपि और व्याकरण
(Language, Script and Grammar)

भाषा (Language)

मनुष्य हर समय समाज में रहता है। वह समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ अपने मन के भाव एवं विचार आदान-प्रदान करता है। इन विचारों या भावों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझने के लिए जिन शब्दों, संकेतों अथवा लिपियों का प्रयोग करता है, वही भाषा कहलाती है। भाषा के बिना मानव समाज के क्रियाकलाप सुचारु रूप से नहीं चल सकते।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे सुनकर या पढ़कर समझ लेना ही भाषा है। अतएव,

अपने मन के भावों और विचारों का आदान-प्रदान करने का माध्यम **भाषा** है।

इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में चार बातें होती हैं :

क. बोलना और सुनना　　ख. लिखना और पढ़ना।

उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं :

1. मौखिक अथवा कथित भाषा　　2. लिखित भाषा

1. मौखिक अथवा कथित भाषा (Spoken Language) : जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है।

नाटक या फिल्म में अभिनेता-अभिनेत्री में परस्पर वार्तालाप, भाषण देना, रेडियो पर समाचार सुनाना, टेलीफोन द्वारा सूचना देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं।

2. लिखित भाषा (Written Language) : जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के लिखित विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा स्थायी होती है।

लिखित भाषा का प्रयोग पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, होर्डिंग्स पर लिखे विज्ञापन, दीवारों पर सूचना अंकित करने तथा कुछ अन्य लिखित सूचनाओं के रूप में किया जाता है।

लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं, बल्कि लिखते हैं। लिखी गई इन ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले की बात को समझ लिया जाता है।

यह भी जानिए

- कभी-कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की भाषा **सांकेतिक भाषा** कहलाती है। चूँकि सांकेतिक भाषा द्वारा व्यक्त किए गए विचार अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं। संकेतों द्वारा सभी प्रकार के विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है।
- गूँगे व्यक्ति द्वारा अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करना, गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर तथा सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करना आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं।

विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं; जैसे— अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जर्मनी, फ्रेंच, जापानी, पुर्तगाली, स्पेनिश, रूसी, हिंदी आदि। विश्व में अंग्रेज़ी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है।

भारत की भाषाएँ (Languages of India)

अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इसीलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएँ हैं:

असमी	सिंधी	कन्नड़	उड़िया	कश्मीरी	कोंकणी	मराठी	
बंगाली	मणिपुरी	गुजराती	तेलुगु	डोगरी	संस्कृत	उर्दू	हिंदी
मलयालम	तमिल	नेपाली	बोडो	पंजाबी	मैथिली	संथाली	

मातृभाषा (Mothertongue) : बच्चा जिस भाषा को अपने घर-परिवार में माता-पिता के साथ बोलकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं; जैसे— पंजाबी परिवार में पलने वाला बच्चा सबसे पहले पंजाबी भाषा सीखता है और सिंधी परिवार में पलने वाला सिंधी भाषा को सबसे पहले सीखता है।

राष्ट्रभाषा (National Language) : जिस भाषा को किसी राष्ट्र के अधिकांश भू-भाग में बोला व समझा जाता है, वह वहाँ की राष्ट्रभाषा बन जाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है।

प्रादेशिक भाषा (State Language) : किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं; जैसे—

प्रदेश	भाषा
कश्मीर	कश्मीरी
कर्नाटक	कन्नड़
केरल	मलयालम
पश्चिम बंगाल	बंगाली

प्रदेश	भाषा
पंजाब	पंजाबी
ओडिशा	उड़िया
तमिलनाडु	तमिल
हरियाणा	हरियाणवी

प्रदेश	भाषा
महाराष्ट्र	मराठी
गुजरात	गुजराती
मणिपुर	मणिपुरी
असम	असमिया

राजभाषा (Official Language) : राजभाषा का अर्थ है— सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी काम-काज इसी भाषा में किए जाएँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह भी जानिए

- अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी 'संपर्क भाषा' भी है।
- हिंदी देश की राजभाषा होने के साथ-साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान-निकोबार की राजभाषा भी है। इनमें अंडमान-निकोबार के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य हिंदीभाषी राज्य कहलाते हैं।

बोली (Dialect)

किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है। सरकारी काम-काज में इसका प्रयोग बिलकुल नहीं होता। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा आदि अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं। अतएव,

भाषा के क्षेत्रीय रूप को **बोली** कहते हैं।

बोली और भाषा में अंतर (Difference between Dialect & Language)

बोली	भाषा
1. बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है।	1. भाषा का विस्तृत क्षेत्र है।
2. बोली किसी एक ही भाषा का अंग है।	2. भाषाएँ अलग-अलग होती हैं।
3. बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं।	3. व्याकरण सम्मत होने के कारण भाषा एक विकसित रूप होती है।
4. बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती।	4. भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

लिपि (Script)

जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, तो बोलते समय मुख से अनेकों ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिह्न निश्चित होता है। ये चिह्न वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं। अतएव,

किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि **लिपि** कहलाती है।

सभी भाषाओं की लिपियाँ एक-सी नहीं होतीं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है; जैसे—

भाषाएँ	लिपियाँ
हिंदी	देवनागरी
फ्रेंच	रोमन
उर्दू	फ़ारसी

भाषाएँ	लिपियाँ
संस्कृत	देवनागरी
जर्मन	रोमन
बंगाली	बांग्ला

भाषाएँ	लिपियाँ
अंग्रेज़ी	रोमन
पंजाबी	गुरुमुखी
मराठी	देवनागरी

याद रखिए

- देवनागरी लिपि का विकास 'ब्राह्मी लिपि' से हुआ। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है।
- फ़ारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
- लिपि के कारण ही ज्ञान-विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

व्याकरण (Grammar)

बच्चो! किसी भी कार्य को सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के अभाव में हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते और न ही ठीक प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के अपने-अपने नियम होते हैं। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमों के इस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के इन नियमों का अध्ययन किए बिना न तो हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। अतएव,

वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, **व्याकरण** कहलाता है।

इन उदाहरणों को पढ़िए और समझिए :

स्तंभ 'अ'	स्तंभ 'आ'
मैंने भी विद्यालय जाना है।	मुझे भी विद्यालय जाना है।

मैं गरम गाय का दूध पीना चाहता हूँ।	मैं गाय का गरम दूध पीना चाहता हूँ।
बच्चे को रखकर प्लेट में खाना खिलाओ।	बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ।

बच्चो! स्तंभ 'अ' में दिए गए चारों वाक्यों में कोई-न-कोई अशुद्धि है। इसका कारण हिंदी व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव है।

स्तंभ 'आ' में दिए गए तीनों वाक्य हिंदी व्याकरण के नियमों के आधार पर शुद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमों के इस शास्त्र को ही 'व्याकरण' कहते हैं।

व्याकरण के विभाग (Divisions of Grammar)

व्याकरण के निम्नलिखित तीन विभाग हैं जो इस प्रकार हैं :

1. वर्ण-विचार (Phonology) : भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है।

2. शब्द-विचार (Morphology) : इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप तथा इनके भेदों का अध्ययन किया जाता है।

3. वाक्य-विचार (Syntax) : इसके अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम-चिह्न आदि का अध्ययन किया जाता है।

विशेष : इनके संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

आओ दोहराएँ

- अपने मन के भावों और विचारों का आदान-प्रदान करने का माध्यम भाषा है।
- हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा, दोनों है।
- भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं।
- किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है।
- जिस शास्त्र द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं।
- व्याकरण के तीन विभाग हैं : वर्ण-विचार, शब्द-विचार, वाक्य-विचार।

अब बताइए

बहुविकल्पीय प्रश्न (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

1. दिए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने (✓) चिह्न लगाइए :

क. भावों और विचारों के आदान-प्रदान को क्या कहते हैं?

(a) व्याकरण ☐ (b) भाषा ☐ (c) लिपि ☐ (d) साहित्य ☐

ख. भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं?

(a) दो ☐ (b) चार ☐ (c) तीन ☐ (d) पाँच ☐

ग. हिंदी भारत की कैसी भाषा है?

(a) मातृभाषा ☐ (b) प्रादेशिक भाषा ☐ (c) राष्ट्रभाषा ☐ (d) सांकेतिक भाषा ☐

घ. हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई?

(a) 14 सितंबर, 1947 ☐ (b) 14 सितंबर, 1949 ☐ (c) 15 अगस्त, 1947 ☐ (d) 14 सितंबर, 1950 ☐

ङ. भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?

(a) 18 ☐ (b) 16 ☐ (c) 22 ☐ (d) 26 ☐

2. इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

क. भाषा से क्या आशय है?

ख. मौखिक तथा लिखित भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए।

ग. लिपि किसे कहते हैं? बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए।

घ. व्याकरण हमें क्या सिखाता है? उदाहरण सहित लिखिए।

3. दी गई भाषाओं की लिपियाँ लिखिए :

फ्रेंच	_____	उर्दू	_____	संस्कृत	_____
पंजाबी	_____	अंग्रेज़ी	_____	बंगाली	_____

4. इन वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए :

क. कनुप्रिया गाना गा रहा है। _____

ख. बच्चे रहे हैं छत पर खेल। _____

ग. मेरे को पानी पीना है। _____

घ. मेरी मम्मी जी बाज़ार गया हैं। _____

रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment)

1. दी गई वर्ग पहेली से भारत और विश्व की भाषाएँ अलग-अलग छाँटकर लिखिए :

ची	नी	त	मि	ल
गु	ज	रा	ती	ज
फ्रें	म	रा	ठी	र्म
च	अं	ग्रे	ज़ी	न
हिं	दी	पं	जा	बी

भारत	विश्व
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2. 100 रुपये के नोट पर विभिन्न भाषाओं में 'एक सौ रुपये' लिखा रहता है। आप उनमें से कितनी भाषाएँ पढ़ या समझ सकते हैं? लिखिए।

3. इंटरनेट द्वारा हिंदी की सभी वैबसाइट्स के नाम ज्ञात कीजिए।

4. विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्र अथवा पत्रिकाओं से कुछ मैटर काटकर अपनी अभ्यास-पुस्तिका में चिपकाइए। भाषा और लिपि का नाम भी लिखिए।